

फाईल संख्या के.बी.बी./1/2013/एसटीजीआरजे/डीईएलएएएल /आर.यू.-।

विषय : अनुसूचित जनजाति परिवार की अवैध रूप से हड़पी गयी पुस्तैनी कृषि भूमि को वापस दिलाने के संबंध में श्रीमती किशोरी बाई बेवा मांगीया गमेती निवासी चिकलवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राजस्थान)के प्रकरण पर दिनांक 28-08-2014 को आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उराँव के समक्ष हुई सुनवाई/बैठक का कायवृत /कार्यवाही ।

बैठक में उपस्थित :

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. डॉ.रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष
2. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
3. श्री हरि राम मीना, वरिष्ठ अन्वेषक
4. श्री रिछपाल सिंह, परामर्शक

राजस्थान सरकार

1. श्री मुकेश शर्मा, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार

आवेदक

1. श्रीमती किशोरी बाई बेवा मांगीया भील

पृष्ठभूमि

श्रीमती किशोरी बाई बेवा मांगीया गमेती निवासी चिकलवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राजस्थान) ने दिनांक 18-09-2013 को आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उनकी गांव चिकलवास में पुस्तैनी जमीन को गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से हड़प लिया गया है । अतः उसने आयोग को अनुरोध किया है कि उसकी जमीन वापस दिलायी जाए । अभ्यावेदन में उसने निम्नानुसार बताया है :

1. गांव हाथीधरा (पूर्व नाम चिकलवास) पटवार सर्कल एवं तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर में पुराना खाता सं. 76 (नया खाता सं.88) जिसके आराजी नं.1019,1020,1021, एवं 1033 कुल किता 4 कुल क्षेत्र 4.3800 हे. में उनके पति का 1/4 हिस्सा तथा आराजी नं. 1134 व 1137 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.1450 हे. में 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

रामेश्वर उराँव

डा. रामेश्वर उराँव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

2. गांव के पुराना खाता सं. 76(नया खाता सं.88) के आराजी नं.1033 कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 3.3300 हे. में उनके पति का हिस्सा 1/4 व उक्त खाता सं. के आराजी नं. 1019,1020,1021 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.0500 हे. तथा आराजी नं. 1133 व 1134 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 014.50 की पावर ऑफ अटार्नी उनके पति से प्रतिवादी श्री नारायण लाल पिता श्री सुंदरलाल असावा निवासी फतेहपुरा (उदयपुर) ने क्रमशः दिनांक 18-08-1994, 17-08-1995 एवं 22-03-1999 को अपने नाम करवाली गयी । तत्पश्चात उक्त भूमि को भूमि रूपांतरण में नियमन करवा कर दिनांक 16-03-1999 को पट्टा भी जारी करवा लिया गया ।

3. आवेदिका के पति श्री मांगीलाल (मांगीया) गमेती की मृत्यु 20-03-1999 को हो चुकी थी जिसकी विरासत भी दर्ज नहीं हुई किन्तु कथित खाता के कथित आराजी नं. 1133 व 1134 की पावर आफ अटार्नी दिनांक 22-03-1999 को दर्शित है जोकि फर्जी प्रतीत होती है । फिर भी श्री नारायण लाल असावा ने उक्त भूमि को पावर ऑफ अटार्नी होल्डर आधार पर दिनांक 26.03.1999 को कई व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है । हालाकि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड अभी भी उनके पति स्वर्गीय श्री मांगीलाल गमेती के नाम है ।

आयोग द्वारा इस मामले पर आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20-09-2013 एवं अनुस्मरण पत्र दिनांक 10-10-2013, जिला कलेक्टर उदयपुर को तथा पत्र दिनांक 19-11-2013 सचिव राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार को लिखा गया । इसी क्रम में एक अनुस्मरण पत्र दिनांक 05-12-2013 जिला कलेक्टर उदयपुर तथा सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार को लिखा गया ।

इस मामले में जिला कलेक्टर उदयपुर ने अपनी उत्तर रिपोर्ट दिनांक 09-12-2013 आयोग को प्रस्तुत की और अभ्यावेदिका द्वारा लगाए गये आरोपों के अनुरूप ही रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जिस पर आयोग की तरफ से जिला कलेक्टर, उदयपुर को एक स्वतः स्पष्ट पत्र दिनांक 02-01-2014 लिखा गया जिसकी प्रति सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को भेजी गयी । इस संबंध में अभ्यावेदिका ने 30-12-2013 का एक और आवेदन आयोग को भेजा । जिसपर आयोग की तरफ से जिला कलेक्टर उदयपुर को पत्र दिनांक 07-01-2014 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया । सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने पत्र दिनांक 31-01-2014 द्वारा आयोग को सूचित किया की कथित मामला उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है । प्राप्त इस उत्तर की छायाप्रति आवेदिका को

21/01/19
डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

सूचनार्थ भेज दी गई । इस मामले में माननीय अध्यक्ष द्वारा चर्चा हेतु दिनांक 24-06-2014 को जिला कलेक्टर, उदयपुर के साथ बैठक निश्चित की, किन्तु जिला कलेक्टर उदयपुर उक्त बैठक में भाग लेने हेतु आयोग में उपस्थित नहीं हुए । अतः माननीय अध्यक्ष ने इस प्रकरण पर चर्चा/सुनवाई हेतु सचिव राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार तथा जिला कलेक्टर उदयपुर के साथ दिनांक 21-07-2014 को पुनः बैठक निश्चित की किन्तु उक्त बैठक में भी दोनों अधिकारी आयोग में उपस्थित नहीं हुए । जिला कलेक्टर उदयपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 17-07-2014 श्री प्रवीण कुमार मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी के द्वारा आयोग में भिजवाई । मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार इस प्रकरण पर दिनांक 28-08-2014 को सुनवाई हेतु, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार तथा जिला कलेक्टर उदयपुर को आयोग में उपस्थित होने के लिए समन भेजे गए ।

चर्चा

प्रकरण पर चर्चा हेतु श्री मुकेश शर्मा, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार दिनांक 28-08-2014 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए जबकि जिला कलेक्टर, उदयपुर उक्त दिन आयोग में हाजिर नहीं हुए । प्रकरण पर माननीय अध्यक्ष ने प्रधान सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार को मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा । जिस पर प्रधान सचिव ने अवगत कराया कि जिला कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदिका श्रीमती किशोरी बाई के पति स्वर्गीय श्री मांगीया भील ने कथित जमीन की तीन पावर आफ अटार्नी श्री नारायण लाल पिता श्री सुंदरलाल असावा के नाम क्रमशः दिनांक 18-08-1994, 17-08-1995 एवं 22-03-1999 को करवायी गयी जिसके आधार पर ही कथित भूमि का आवासीय भूमि में रूपांतरण हो जाने पर श्री नारायण लाल ने आगे विक्रय किया । इस मामले पर प्रधान सचिव ने दर्शाया कि ग्राम चिकलवास में आराजी नं. 1119 रकबा 3.33 हे. की पावर आफ अटार्नी दिनांक 18-08-1994 को, आराजी नं. 1019, 1020 व 1021 रकबा 0.3700 हे., 0.19 व 0.49 की पावर आफ अटार्नी दिनांक 17-08-1995 को तथा आराजी नं. 1134 व 1137 रकबा 0.3500 हे. व 0.11 की पावर आफ अटार्नी दिनांक 22-03-1999 को स्वयं श्री मांगीया भील द्वारा श्री नारायण लाल असावा के नाम करवायी गई । तदनुसार ही श्री नारायण लाल असावा ने उक्त भूमि को आवासीय भूमि में रूपांतरित हो जाने पर अग्रिम तौर पर अन्य व्यक्तियों को भू-खण्ड बेचे गए ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में आवेदिका से स्थिति प्रस्तुत करने को कहा जिस पर उन्होंने बताया कि कथित भूमि अभी भी उनके स्वर्गीय पति के नाम खातेदारी दर्ज है, तथा भूमि पर अभी भी

रामेश्वर उराव
डा. रामेश्वर उराव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

उनके पति की मृत्यु दिनांक 20-03-1999 को हो चुकी थी तो किस प्रकार कथित जमीन की तीसरी पावर आफ अटार्नी जो कि दिनांक 22-03-1999 को की गई थी तो कैसे उनके पति द्वारा हस्ताक्षरित की गई। आवेदिका ने यह भी बताया कि कथित जमीन के पट्टे आवंटित करने के लिए श्री नारायण लाल असावा ने जिला कलेक्टर, उदयपुर के यहां आवेदन किया था। जिसको जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 15-07-1998 को रिजेक्ट कर दिया गया। आवेदिका ने यह भी बताया कि प्रतिवादी द्वारा कथित जमीन के लिए फार्म हाउस बनाने के लिए आवेदन किया था किन्तु उनको आवसीय भूमि के पट्टे प्रदान किए गए।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से पूछा गया तो प्रधान सचिव ने बताया कि जहां तक उनकी जानकारी में है कथित जमीन की पहली दो पावर आफ अटार्नी क्रमशः दिनांक 18-08-1994 एवं 17-08-1995 को की गई थी सही प्रतीत होती है। क्योंकि उस समय आवेदिका के पति श्री मांगीया भील जीवित थे, किन्तु दिनांक 22-03-1999 को कथित जमीन की की गई पावर आफ अटार्नी संदेहजनक प्रतीत होती है। क्योंकि आवेदिका द्वारा ग्राम पंचायत चिकलवास से उनके पति की मृत्यु के संबंध में 20-03-1999 का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रधान सचिव ने आयोग को बताया कि इस संबंध में आवेदिका के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच करायी जाएगी, तदनुसार दिनांक 22-03-1999 की गई पावर आफ अटार्नी की वैधता पर कार्यवाही की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण पर प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं आवेदिका द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कहा कि इस प्रकरण में कुछ तो गड़बड़ी की गई स्पष्ट होती है जिसकी जांच नितांत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार को कहा कि निम्नलिखित जानकारी मामले की अग्रिम जांच के लिए आयोग को भिजवायी जाए।

1. क्या राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 के नियमों/ धाराओं का मामले में अनुसरण /अनुपालन किया गया है ?

21/03/19

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

2. प्रतिवादी के कथित भूमि के पट्टे आंवटन के आवेदन को जिला कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया तो ऐसी स्थिति में आवासीय भूमि रूपांतरण के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्यों नहीं देखा गया। इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है, सूची भिजवाएं ?
3. कथित जमीन की तीन अलग-अलग पावर आफ अटार्नी क्रमशः दिनांक 18-08-1994, 17-08-1995 एवं 22-03-1999 को की गई उक्त जमीन के विक्रेता (मांगीया भील) एवं क्रेता गण (नारायण लाल असावा) तथा साक्षी गणों का पूरा पता।
4. कथित जमीन के पड़ोसियों का पूरा नाम और पता।
5. विक्रेता द्वारा जमीन क्रेता को किस भाव/दर से बेची गई।
6. विक्रेता को उक्त जमीन की रकम क्रेता द्वारा कितनी दी गई, नकद या बैंक रूप में दी गई। यदि बैंक में दी गई तो विक्रेता को कौन से बैंक से कौन से भुगतान प्राप्त हुआ।
7. विक्रेता द्वारा जमीन की एवज में प्राप्त रकम का किस प्रकार उपयोग किया गया, क्या उस रकम से उसमें परिसम्पति या चलसम्पति खरीदी, की तथ्यात्मक जानकारी।

प्रकरण पर सुनवाई हेतु जिला कलेक्टर उदयपुर के आयोग में उपस्थित नहीं होने को गंभीरता से लिया गया। अतः इस संबंध में जिला कलेक्टर उदयपुर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार तथा सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को आयोग द्वारा लिखा जाएगा। ताकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा भविष्य में प्रशासनिक जिम्मेवारी का पालन किया जा सके।

प्रधान सचिव ने आयोग को आश्वासन दिलाया कि इस मामले में जांच करवायेगे और पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष ने प्रधान सचिव को कहा कि मामले की शीघ्र जांच कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेंगे। इस मामले में आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार को पत्र भेजा जाए कि कथित जमीन पर आवेदिका का कब्जा है जिसको बरकरार रखा जाए तथा आवेदिका को जमीन पर कब्जे का पुलिस संरक्षण दिया जाए। आयोग द्वारा आवेदिका को सलाह दी गई कि वह इस मामले में जिला कलेक्टर को पूर्ण जानकारी देते हुए पट्टे निरस्त करने के लिए लिखे और पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज कराएं।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली